रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-एम.एच.-अ.-14092024-257171 CG-MH-E-14092024-257171

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3596] No. 35961

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 13, 2024/भाद्र 22, 1946 NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 13, 2024/BHADRA 22, 1946

रेल मंत्रालय

(मध्य रेल)

अधिसूचना

मुंबई, 12 सितम्बर, 2024

का.आ. 3931(अ).— केंद्रीय सरकार ने रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11 वां) (जिसे इसमें इसकें पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20'क' की उपधारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 15 फरवरी 2023 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांक का.आ.699 (अ) तारीख 14 फरवरी 2023, जिसे इस मे इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है, द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबध्द अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमी को, महाराष्ट्र राज्य के यवतमाल जिले में विशेष रेल परीयोजना अर्थात, वर्धा -यवतमाल- नांदेड नई ब्रॉडगेज रेलवेलाईन निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय की घोषणा की थी।

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20-क की उपधारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्रों अर्थात 'विदर्भमतदार" और 'देशोन्नती" मे तारीख 14 अप्रैल 2023 को प्रकाशित किया गया था ।

5899 GI/2024 (1)

और, कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे और उन पर विचार किया गया है तथा सक्षम अधिकारी द्वारा तदनुसार आदेश पारित कर दिये गए हैं।

और, उक्त अधिनियम की धारा 20-ड की उपधारा (1) के अनुसरण मे सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को प्रस्तूत कर दी हैI

अत: अब केंद्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20(ड) की उपधारा (1) व्दारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबध्द अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी।

और यह की, केंद्र सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20-ड कि उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है की राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इसमें उपाबध्द अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमी सभी विलंगमो से मुक्त होकर केंद्रीय सरकार में अत्यांकित रुप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के यवतमाल जिले मे दिग्रस तालूका से नागरी सेक्शन के अंतर्गत इसापूर गाँव का, सक्षम प्राधिकारी अर्थात उपजिलाधिकारी, (भूसंपादन) रस्ते प्रकल्प यवतमाल, के अधीन विशेष रेल परियोजना वर्धा -यवतमाल- नांदेड नई ब्रॉडगेज रेलवे लाईन के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना या उसके रहित संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

अ. क्र.	भुसंपादन प्रकरण क्रमांक	गॉव का नाम	तालुका	7/12 के अनुसारभूधारक का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि धारणा प्रणाली	7/12 के अनुसार कुल क्षेत्रफल (हे.आर.)	अधिग्रहण क्षेत्र (हे.आर.)
1				मल्लिकार्जून संस्थान दिग्रस	67	1	13.76	0.06
2				बुलढाणा अर्बन को-ऑप क्रेडीट सोसायटी म. बुलढाणा	71/1पै	1	5.64	0.17
3				उषाताई बाळाभाऊ गूजलवार	77/1	1	1.41	0.05
4	24/47/21-22	इसापूर	दिग्रस	दिनेश बाळाभाऊ गूजलवार, उषाताई बाळाभाऊ गूजलवार, रविंद्र बाळाभाऊ गूजलवार	77/2	1	1.06	0.14
5				अनुराग चंद्रशेखरे पाटील (मर्हिंद्रे)	62 पै	1	7.27	0.33
6				तुषार रमलीकांत लाठीवाला	62 पै	1	0.46	0.19
कुल								0.94

फा. सं. G197/2024/Wardha-Nanded/September/20E-II]

अवनीश कुमार पाण्डेय, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Central Railway) NOTIFICATION

Mumbai, the 12th September, 2024

S.O. 3931(E).—Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number.S.O699(A) dated14thFebruary 2023publishedinGazetteofIndia,Extraordinary,PartII, section 3, Sub-section (ii) dated the 15thFebruary 2023(here in after referred to as the said notification) and issued under subsection (1) of section 20A of the Railway (Amendment) Act, 2008 (11 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declares its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project,namely "Wardha Yavatmal Nanded New BG Railway Line" in the district of Yavatmal in the state of Maharashtra.

And whereas, the substance of the said notification was published in daily newspapers namely "Vidarbh matdar" And "Deshonnati" Dated14th April 2023 under sub section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, no objections were received and the same have been considered by the competent Authority accordingly orders have been passed;

And whereas, in pursuance of sub-section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said act, the Central Government here by declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And Further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette; the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government Free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the Special Railway Project "Wardha Yavatmal Nanded New BG Railway Line"in Isapur village in Digras Taluka Nagri Section under Dy.Collector (Land Acquisition), Road Project Yavatmal the district Yavatmal in the State of Maharashtra.

Sr. No.	Land Acquisition Case No	Name of the village	Taluka	Name of Landholder as per 7/12	Survey no.	Land holding system	Total Area as on 7/12 (H.R.)	Acquisition Area (H.R.)
1	24/47/21-22	Isapur	Digras	Mallikarjun sansthan Digras	67	1	13.76	0.06
2				Buldana Urban Co- op. Credit Society Ltd. Buldana	71/1p	1	5.64	0.17
3				Ushatai Balabhau Gujalwar	77/1	1	1.41	0.05
4				Dinesh Balabhau Gujalwar, Ushatai Balabhau Gujalwar, Ravindra Balabhau Gujalwar	77/2	1	1.06	0.14
5				Anurag Chandrashekhar Patil (Mahindre)	62P	1	7.27	0.33
6				Tushar Ramlikant Lathivala	62P	1	0.46 29.6	0.19
Total								0.94

[F. No. G197/2024/Wardha-Nanded/September/20E-II]

AVANISH KUMAR PANDEY, Chief Administrative Officer (Construction)